


स पत्रावली संख्या ०२२ का पत्र है।

6 22

पत्रावली पेश हुई वकील शशीका उपाध्यक्ष विपक्षीय 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9  
11, 12, 13 के सम्मन वक्त लॉकल होकर जात हुए जिसे शापक भिजे गये।  
विपक्षी सं. 4 व 5 के विरुद्ध वकील शशीका को इजाजत नहीं चाहते हैं।  
विपक्षीय को कई बार कूट-कूट कर आवाजे दिखायी जाने के बावजूद  
भी उपस्थित नहीं, उनके विरुद्ध एक तरफ का इजाजत दिये जाने का  
आदेश दिया जाना है वकील शशीका का काग-पत्र लंबेकाल दिया जाना  
निर्दिष्ट प्रक से लिखा जाकर शापक विधागका पत्रावली  
के अंत श्रुमार होकर नम्वर से कर है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मंडल जिला मीलवाड़ा



नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

राजस्थान - सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 09/24 प्रा.पत्र

1- श्रीमती सुब्बी देवी vs. के.रामल जायसवाल निवासी- बागौर तहसील-माण्डल

प्राथी

बनाम

1- श्री बालुराम vs. बंशीलाल महाजन निवासी- बागौर तहसील-माण्डल (वैर)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 06-06-24


::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि  
ग्राम.....बागौर.....पटवार हल्का.....बागौर I.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की  
आराजी नं० 2773.....कुल किता.....0.1.....रकबा.....0-2276.....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि  
के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता  
रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01-02-24.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
गवर्लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का  
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए  
सार्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....बागौर.....पटवार  
का.....बागौर I.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.....2773  
हल्का.....0.1.....रकबा.....0-2276.....हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी बिनये  
जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....बागौर  
को.....500.....रुपये/- कमिश्नर पीस पर कमिश्नर पीस जमा होने पर पक्षकरण की मौजूदगी में मौके व कब्जे  
की यथास्थिति को बनाये रखते हुए गुप्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर  
पत्थरगढी नहीं की जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाड़ा

तिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की  
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाड़ा